



राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

भूमि

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ. 56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2023-24/ 12 2 61

दिनांक: 10.05.2023

आदेश

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय टोल फ्री नम्बर 181 राजस्थान सम्पर्क सिटीजन कॉल सेन्टर को बनाया गया है जिस पर प्रतिदिन आने वाली शिकायतों यथा दूरभाष, मोबाईल एप एवं पोर्टल के माध्यम से शिकायतों दर्ज होने के 30 दिवस के अन्दर निस्तारित किया जाना अपेक्षित है। प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समस्त नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, को एल-1 स्तर, समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग एल-2 स्तर पर, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव एल-3 स्तर पर तथा शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग एल-4 स्तर पर को भेप किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सम्पर्क सिटीजन कॉल सेन्टर से प्राप्त शिकायतों को निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में निस्तारित किया जावे।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक/एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:एफ.56 (क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2023-24/ 12 2 6 2 - 12554 दिनांक: 10.05.2023
प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
3. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
4. निजी सचिव, जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, समस्त राजस्थान।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर, राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
7. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक (IRGY), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
9. प्रभारी अधिकारी, राजस्थान सम्पर्क, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
10. संयुक्त निदेशक (IT), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. उपनिदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
12. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका को उपरोक्तानुसार पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक/एवं विशिष्ट सचिव